



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,
बिलासपुर रिट याचिका क्रमांक 5173 वर्ष 1998

याचिकाकर्तागण :-

1. श्यामलाल, पिता – श्री नर्मदा प्रसाद चन्द्र, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी – ग्राम सरसडोल, डाकघर पिहरीद, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, चन्देलाडीह।
2. प्रेमलाल, पिता – श्री सम्मेलाल वर्मा, निवासी – ग्राम बनजारी, डाकघर अधभार, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, ककर्।
3. हबलाल, पिता – श्री भकुलाल यादव, निवासी – ग्राम बुंदेली, डाकघर बंडोरा, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, मरघटी।
4. रामकुमार, पिता – श्री घनऊराम यादव, निवासी – ग्राम बोकरेल, डाकघर सपरिया, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, अधभार नवीन।
5. लक्ष्मी प्रसाद, पिता – श्री आरतीराम सिदार, निवासी – ग्राम सिंग्रहा, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, सिंग्रहा बालक।
6. गोरेलाल, पिता – श्री संतराम गबेल, निवासी – ग्राम बुंदेली, डाकघर बंडोरा, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, डोंघाड़ेरा।
7. श्यामलाल, पिता – श्री दिलचन्द चन्द्र, निवासी – ग्राम सरसडोल, डाकघर पिहरीद, पद – सहायक शिक्षक, पूर्व माध्यमिक शाला, आमंदुला।





8. बुधेश्वे प्रसाद, पिता – श्री देवप्रसाद शर्मा, निवासी – ग्राम एवं डाकघर अधभार, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, देवगांवपारा।
9. श्रीमती राजकुमारी, पति – श्री अजीतराम गबेल, निवासी – ग्राम डब्बरभाठा, डाकघर सकर्का, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, आवास प्लॉट डर्राभाठा।
10. संजय, पिता – श्री आत्माराम धिरहा, निवासी – डाकघर बंडोरा, पद – सहायक शिक्षक, तुलसीडीह।
11. रामशंकर सिंह, पिता – श्री मघालूराम सिदार, निवासी – ग्राम छोटेराबेली, डाकघर बड़ेराबेली, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, महलडीह।
12. अशोक राम, पिता – श्री तिलकराम खुंटे, निवासी – ग्राम चपोरा, पद – सहायक शिक्षक, मध्य शाला, मरघटी।
13. देवारिलाल, पिता – श्री भाखालूराम यादव, निवासी – ग्राम एवं डाकघर पोटा, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, चिखली।
14. फिरनलाल, पिता – श्री छातूराम बरेठ, निवासी – ग्राम आडिल, डाकघर अउरदा, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, मोहनडिकलापारा।
15. घनश्याम प्रसाद, पिता – श्री सुंदरलाल चन्द्र, निवासी – ग्राम करगांव, डाकघर बन्दोरा, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, भेडीकोना।





16. रूपेन्द्र कुमार, पिता – श्री बिसाहू राम देवांगन, निवासी – ग्राम एवं डाकघर अधभार, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, लिमगांव।
17. जयकिशन, पिता – श्री छेदीलाल कुरांव, निवासी – ग्राम अधभार, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, मिशन चौक मालखरौदा।
18. श्यामसुंदर, पिता – श्री घासीराम साहू, निवासी – ग्राम मिरोनी, डाकघर नारियारा, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, मिरोनी।
19. नेतराम, पिता – श्री रामूलाल निराला, निवासी – ग्राम मरघटी, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, रनपोटा।
20. हरीश कुमार, पिता – श्री बसंतलाल दुबे, निवासी – ग्राम एवं डाकघर हरदी, डाकघर अधभार, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, कुल्बा।
21. जीतेश कुमार, पिता – श्री नथूलाल गबेल, निवासी – ग्राम मुकला, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, पिहरोद।
22. वेदव्यास, पिता – श्री कृष्णधर मिश्र, निवासी – ग्राम एवं डाकघर मालखरौदा, पद – सहायक शिक्षक, मध्य शाला, चपोरा।
23. राधेश्याम, पिता – श्री दिलचन्द चन्द्र, निवासी – ग्राम सरसडोल, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, मोहन्दीकला, डाकघर पिहरोद।





24. कुमारी सुधा, पिता – श्री अशोक कुमार उपाध्याय, निवासी – ग्राम एवं डाकघर अमांकडुला, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, डर्राभाटा।
25. कुमारी गीता अंजलि, पिता – श्री सुधराम यादव, निवासी – ग्राम बीरभाठा, डाकघर मालखरौदा, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, अम्बे पिहरोद।
26. फैकुलाल, पिता – श्री घुनारूराम देवांगन, निवासी – ग्राम एवं डाकघर अधभार, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, लिमगांव।
27. श्रीमती चंचला, पति – श्री घनश्याम वर्मा, निवासी – ग्राम बोकरेला, डाकघर सपरिया, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, छटोना।
28. कुमारी शकुन्तला, पिता – श्री लक्ष्मण प्रसाद जायसवाल, निवासी – ग्राम एवं डाकघर अधभार, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, तोलिपाली।
29. श्रीमती जानकी, पति – श्री रामनरेश साहू, निवासी – ग्राम सिंधा, पद – सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, बडेकोटा।
30. श्रीमती रीता, पति श्री चित्रसेन दिनेश, निवासी ग्राम पोस्ट मलक्करोदा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, कलूमी।
31. कु. प्रमिला, पिता श्री भगवत सिंह सिदार, निवासी ग्राम पोस्ट अदभार, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, टेढी मोहल्ला अदभार।





32. कु. गुड्डी, पिता श्री शिवदयाल भारद्वाज, निवासी ग्राम पोस्ट पीराडा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, जोगीदिपा।
33. कु. कार्तिक कंवर, पिता श्री बुधवाराम सिदार, निवासी ग्राम दर्राभाठा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, आवास प्लॉट दर्राभाठा।
34. कु. शकुंतला, पिता श्री दौदराम जायसवाल, निवासी ग्राम पोस्ट फिरदा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, जोगीदिपा।
35. श्रीमती कमला, पति श्री श्यामलाल खुराना, निवासी ग्राम पोस्ट मलक्कहरोदा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, कलमी।
36. श्रीमती तुलोतमां, पति श्री प्रेमलाल चौहान, निवासी ग्राम पोस्ट फरसादीह, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, जामगहन।
37. श्रीमती रश्मि, पति श्री विजय कुमार शर्मा, निवासी ग्राम पोस्ट मलक्कहरोदा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, मोहतरा।
38. श्रीमती विमला, पति श्री रुपलाल निराला, निवासी ग्राम पोस्ट कुरदा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, बर्बहटा (घोघरी)।
39. कु. ललिता, पिता श्री सुंदरमणि जायसवाल, निवासी ग्राम पोस्ट चपोरा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, अचिरीतपाली।





40. श्री आत्माराम, पिता श्री होरीलाल, निवासी ग्राम महुईडीह, पोस्ट अमलीडीह, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, फिरदा।
41. श्री गणपत राम, पिता श्री होलाराम, निवासी ग्राम पोस्ट डोमा, पोस्ट चपोरा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, बिलाईगढ़।
42. श्री हरसिंह, पिता श्री बीरसिंह राज, निवासी ग्राम पोस्ट अमलीडीह, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, नवागांव।
43. श्री उत्तरकुमार, पिता श्री लक्ष्मणसिंह मरावी, निवासी ग्राम पोस्ट कारा, पोस्ट सापिया, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, बोदा सागर।
44. श्री गणपत सिंह, पिता श्री अवधराम मरावी, निवासी ग्राम बिर्भाठा, पोस्ट मलक्कहरोदा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, चरौदी।
45. श्री कंवल सिंह, पिता श्री व्याधा सिंह राज, निवासी ग्राम भुठहा, पोस्ट बड़े राबेली, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, सरसडोल।
46. श्री सुरेन्द्र सिंह, पिता श्री प्रेम सिंह राज, निवासी ग्राम पोस्ट अमलीडीह, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय कन्या, घोघरी।
47. श्री शोमनाथ, पिता श्री मघालूराम राज, निवासी ग्राम छोटे राबेली, पोस्ट बड़े राबेली, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, भंडोर।





48. श्री अवध सिंह, पिता श्री छेदूराम सिदार, निवासी ग्राम बोदासागर, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, खरताल।
49. कु. अनीता, पिता श्री लालराम नेताम, निवासी ग्राम पोस्ट अदभार, सहायक शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय, फागुराम।
50. कु. श्यामदुलारी, पिता श्री पिताम्बर सिंह श्याम, निवासी ग्राम पोस्ट अदभार, सहायक शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय, भाटा।
51. कु. लक्ष्मी, पिता श्री कार्तिकराम सिदार, निवासी ग्राम पोस्ट चपोरा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, डोमा।
52. कु. सुभासिनी, पिता श्री केलेराम उरांव, निवासी ग्राम पोस्ट अदभार, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, टेढी मोहल्ला अदभार।
53. श्री तंधुराम, पिता श्री भोलाराम मिरी, निवासी ग्राम पोस्ट सिंधरा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, किरारी।
54. श्री मयाराम, पिता श्री रेशमलाल शतरंज, निवासी ग्राम छोटे सीपत, पोस्ट बड़े सीपत, सहायक शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय, बड़े राबेली।
55. श्री हेमलाल, पिता श्री पूकराम जाटवार, निवासी ग्राम पोस्ट पिहरोद, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, भंडोरा।





56. श्री जगदीश प्रसाद, पिता श्री खेडूराम बंजारा, निवासी ग्राम पोस्ट सिंधरा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, परसडीह ।
57. श्री गोकुल प्रसाद, पिता श्री बाबूलाल सिन्हा, निवासी ग्राम कटारी, पोस्ट सोनाडुला, सहायक शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय, मरघटी।
58. कु. पार्वती, पिता श्री बुलचूराम प्रीमी, निवासी ग्राम कलमी, पोस्ट मलक्करोदा, सहायक शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय, सीपतखाला।
59. श्रीमती विमला, पति श्री रोहित कुमार, निवासी ग्राम पोस्ट पिहरोद, सहायक शिक्षक, बालक प्राथमिक विद्यालय, घोघरी।
60. कु. लक्षेश्वरी, पिता श्री धरमदास भारद्वाज, निवासी ग्राम पोस्ट पीराडा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, नारिवारा।
61. कु. कुसुमलता, पिता श्री चंद्रराम सोनवानी, निवासी ग्राम पोस्ट फिरदा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, बर्बहटा (पीराडा)।
62. श्री श्यामलाल, पिता श्री मंगल सिंह विश्वकर्मा, निवासी ग्राम पोस्ट अदभार, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, अघोरीपारा सापिया।
63. श्री मुर्ली प्रसाद, पिता श्री रामलाल कटाकवार, निवासी ग्राम अदभार, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, अघोरिपारा सापिया।





64. श्री श्यामलाल, पिता श्री देदूराम, निवासी ग्राम पोस्ट अदभार, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, सोनाडुला।
65. श्री राजेन्द्र कुमार, पिता श्री शिव प्रसाद, निवासी ग्राम अदभार, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, किरारी।
66. श्री रमेश कुमार, पिता श्री मुरलीधर देवांगन, निवासी ग्राम अदभार, सहायक शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय, अदभार।
67. श्री नारायण साहू, पिता श्री नंदू साहू, निवासी ग्राम खेमडा, सहायक शिक्षक, बरपाली।
68. श्री पिताम्बर कुमार, पिता श्री अमर सिंह गबेल, निवासी ग्राम सुलोनी, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, टिकरीपार।
69. श्री राम कुमार, पिता श्री धरम सिंह कुर्मी, निवासी ग्राम बंडोरा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, कर्पापाली।
70. श्रीमती अंबिका देवी, पति श्री शालिकराम साहू, निवासी ग्राम डोंगरीडीह, पोस्ट अमलीडीह, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, डोंगरीडीह।
71. कु. निम्मी देवी, पिता श्री अर्जुन सोनी, निवासी ग्राम कुरदा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, कुरदा।
72. श्रीमती रामप्यारी, पति श्री भूजश्वर प्रसाद साहू, निवासी ग्राम चपोरा, सहायक शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय, मरघटी।





73. श्रीमती रामप्यारी, पति श्री चिंताराम जायसवाल, निवासी ग्राम घोघरी, पोस्ट बासिन, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, बासिन।
74. श्री धनंजय कुमार, पिता श्री गजानन प्रसाद गबेल, निवासी ग्राम करीगांव, पोस्ट बंडोरा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, बंधवापारा, बंडोरा।
75. श्री गुरु प्रसाद, पिता श्री नांकीदास गबेल, निवासी ग्राम बुंदेली, पोस्ट बंडोरा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, सुलोनी।
76. श्री प्रेमलाल दलगंजन कटाकवार, निवासी ग्राम सिंघरा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, बालक सिंहरा।
77. श्री पवन कुमार, पिता श्री दामोदर प्रसाद चंद्रा, निवासी ग्राम बड़े राबेली, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, बिर्भाठा।
78. श्री जगमोहन, पिता श्री रामदयाल, निवासी ग्राम अदभार, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, तौलिपाली।
79. कु. दिव्या तिवारी, पिता श्री एस.पी. तिवारी, निवासी ग्राम मालखरोदा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, सक्करा।

विरुद्ध

प्रतिवादीगण :-

1. कलेक्टर, जांजगीर-चम्पा (छ.ग.) ।





2. जनपद पंचायत, मालखरौदा, द्वारा - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मालखरौदा, जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश ।

उपस्थित अधिवक्तागण :

श्री बी.डी. गुरु,
श्री अजय द्विवेदी,
श्री उत्कर्ष वर्मा

.....याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ।
.....राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता ।
.....हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता ।

निर्णय

(दिनांक 29 जनवरी, 2008)

1. याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पद पर, जनपद पंचायत मालखरौदा अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में, दिनांक 17-07-1998 (अनुलग्नक P/1) को की गई थी एवं नियुक्ति के उपरांत याचिकाकर्ताओं ने कार्यभार ग्रहण कर सेवाएँ प्रारंभ कीं। आकस्मिक रूप से दिनांक 12-10-1998 (अनुलग्नक P/5) के आदेश द्वारा चयन प्रक्रिया में कथित रूप से पाई गई विभिन्न अनियमितताओं के आधार पर चयन को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। इस न्यायालय ने, दिनांक 02-11-1998 को, अगली सुनवाई की तिथि तक यथापूर्णस्थिति का आदेश पारित किया था।



2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-11-1998 के बल पर याचिकाकर्ता शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के रूप में अपने-अपने विद्यालयों में आज भी कार्यरत हैं ।

3. प्रतिवादी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्यात्मक स्थिति का विवाद नहीं किया कि याचिकाकर्ता 02-11-1998 से आज दिनांक तक कार्यरत हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि निरस्तीकरण का आदेश याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया । यह तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को कार्य करने की अनुमति लगभग दस वर्षों की लम्बी अवधि के लिए दी गयी थी । इस अवस्था में, यह जाँच करने के पश्चात् कि कारण बताओ नोटिस आवश्यक था अथवा नहीं, उनकी नियुक्ति निरस्त करना, यह प्रकरण के तथ्य के संधर्भ में वांछनीय नहीं है तथापि जैसा की प्रतिवादी/प्राधिकरणों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है यदि आवश्यक हो, तो प्रत्येक याचिकाकर्ता को पृथक कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है, किसी भी कार्यवाही से पूर्व इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बल पर लगभग 10 वर्षों तक शिक्षाकर्मी ग्रेड 3 के रूप में कार्य किया है, अतः प्रकरण के गुण-दोष पर विचार करना आवश्यक नहीं है । निरस्तीकरण का आदेश निरस्त किया जाता है । तथापि, प्रतिवादीगण/प्राधिकारीगण यदि आवश्यक समझे, तो प्रत्येक याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत उचित कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

4. याचिका, उपर्युक्त निर्देशों के साथ, निराकृत की जाती है।

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By : Shivani Agrawal

